# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu223RTA028 LRs Bhikaram Vs LRs of Lunaram

1. भीखाराम पुत्र जोगाराम भील के कायममुकामान--
   a. श्रीमती कसुम्बी पत्नी भीखाराम भील, निवासी ग्राम जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर
   b. सुमेरराम पुत्र भीखाराम भील, निवासी ग्राम जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर
   c. चुनाराम पुत्र भीखाराम भील, निवासी ग्राम जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर
   d. गोपाराम पुत्र भीखाराम भील, निवासी ग्राम जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर
   e. बींजाराम पुत्र भीखाराम भील, निवासी ग्राम जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर
   f. श्रीमती चुकी पुत्री भीखाराम भील पत्नी देवाराम भील निवासी बागावास, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर
   g. श्रीमती धापु पुत्री भीखाराम भील पत्नी पूनाराम भील निवासी चिचरली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
2. फूसाराम पुत्र जोगाराम भील, निवासी जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर
3. ताजाराम पुत्र जोगाराम भील निवासी जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

**ब**

**ना**

**म**

1. लूणाराम पुत्र पाचाराम भील के कायममुकामान --
   a. श्रीमती गवरी देवी पत्नी लूणाराम निवासी जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर
   b. भंवराराम पुत्र लूणाराम निवासी जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर
   c. मोहनराम पुत्र लूणाराम निवासी जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर
   d. श्रीमती कमला पुत्री लूणाराम पत्नी बंशीलाल भील निवासी लोरडी देजगरा, तहसील व जिला जोधपुर

राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर

e. श्रीमती चुकी देवी पुत्री लूणाराम पत्नी रामाराम भील निवासी भाण्डू कटारडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
f. श्रीमती बाबूदेवी पुत्री लूणाराम पत्नी पप्पूराम भील, निवासी बडली तहसील व जिला जोधपुर
g. श्रीमती हीरादेवी पुत्री लूणाराम पत्नी सुखाराम भील निवासी ग्राम राजवा, तहसील व जिला जोधपुर
h. श्रीमती धापु देवी पुत्री लूणाराम पत्नी श्रवणराम भील, निवासी सुराणी, तहसील बालेसर जिला जोधपुर

2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार
तहसील कार्यालय जोधपुर

-----रेस्पो.

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दिनांक 27 फरवरी 2019 राजस्व वाद संख्या 137/2011 (84/2000, 59/2002) उनवान लूणाराम व अन्य बनाम भीखाराम इत्यादि**

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री बेनाराम पटेल, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स
श्री अक्षय दवे, अधिवक्ता रेस्पो.
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

## नि र्ण य

**दिनांक :** 11 दिसम्बर 2019

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 137/2011 (84/2000, 59/2002) लूणाराम व अन्य बनाम भीखाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 27 फरवरी 2019 के खिलाफ यह अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 07 मार्च 2019 को प्रस्तुत की है।

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद. पेश कर जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 99 रकबा 53 बीघा 04 बिस्वा वाके मौजा जोलियाली पक्षकारान की पुश्तैनी जायदाद है, जिसके मूल खातेदार पक्षकारान के पूर्वज गुलाराम के दो पुत्र जोगाराम व पांचाराम (वादी-रेस्पो. के पिता) हुए, पांचाराम जी एवं उनकी पत्नी का देहान्त वादी की आयु पांच वर्ष की थी, तब ही हो गया, इस कारण वादी-रेस्पो. का पालन-पोषण जोगारामजी व उनकी पत्नी द्वारा पुत्रवत किया गया। वादग्रस्त आराजी पर वादी-रेस्पो. तथा प्रतिवादी-अपीलाण्ट का प्रत्येक का ½-½ समान हक-हिस्सा एवं कब्जा है। प्रतिवादीगण के पिता जोगाराम जी का देहान्त सन् 1963 में हो गया, तब एक फौतेदगी म्युटेशन संख्या 23 पारित किया गया, जिसमें भी वादी का वादग्रस्त आराजी में आधा हिस्सा दर्शाया गया है। इसके बाद सन् 1977 में जोगाराम जी की पत्नी का देहान्त हो गया, जोगाराम जी की पत्नी भी वादी-रेस्पो. को पुत्रवत रखती थी, मगर फरवरी 2000 में प्रतिवादी-अपीलाण्ट द्वारा वादी-रेस्पो. को उसके हिस्से से बेदखल करने की धमकी देने पर समझाईश की कोशिश की गयी, मगर असफलता मिली हाथ लगी, प्रतिवादी द्वारा वादी-रेस्पो. के पुत्र भंवराराम की ढाणी जला दी गयी, तब पुलिस थाना झंवर में कार्यवाही भी की गयी। फिर पटवारी से जानकारी करने पर वादी-रेस्पो. को विदित हुआ कि प्रतिवादी-अपीलाण्ट द्वारा वादी-रेस्पो. का वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व रिकार्ड से नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हटवा दिया गया है, जबकि वादी-रेस्पो. का वादग्रस्त आराजी में ½ हिस्सा बनता है और उसी अनुरूप वह मौके पर विगत 50 सालों से काबिज है। अतः विकल्प में एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादी-रेस्पो. को वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

उक्त वाद का प्रतिवादी-रेस्पो. की ओर से जबाव पेश किया जाकर खण्डन किया गया। दावे एवं जबाव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकियात कायम की गयी--

1. आया वादी खेत खसरा संख्या 99 रकबा 53 बीघा 04 बिस्वा मौजा जोलियाली के ½ हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने का अधिकारी है?

---- जिम्मे वादी

2. आया वादी अपने ½ हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा करवाये जाने का अधिकारी है?

---- जिम्मे वादी

3. आया वादी प्रतिवादी 1 ता 3 द्वारा किया गया बेचान वादी के हितो पर शून्यप्रभावी है?

---- जिम्मे वादी

4. आया वादी स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने का अधिकारी है?

---- जिम्मे वादी

5. आया वादी का वाद झूठे तथ्यों पर होने से काबिल खारिज है तथा खर्चा प्रकरण प्रतिवादी पाने का अधिकारी है?

---- जिम्मे प्रतिवादी

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

तत्पश्चात दोनों पक्षों की साक्ष्य सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 फरवरी 2019 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादी-रेस्पो. को वादग्रस्त आराजी के ¼ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने एवं मौके पर तहसीलदार से माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन की डिक्री तलब किये जाने के आदेश पारित किये। जिसके खिलाफ - वादी-रेस्पो. द्वारा आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील के गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरासंख्या 99 रकबा 53 बीघा 04 बिस्वा वाके मौजा जोलियाली तहसील व जिला अकेले प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के पिता जोगाराम को दिनांक 20 फरवरी 1950 में पट्टा बापी गांव जोलियाली परंगना जोधपुर के तहसीलदार द्वारा काश्तकार बनाया था, जिसका मूल पट्टा प्रदर्श डी-3 है। इससे यह प्रकट है कि वादग्रस्त आराजी जोगाराम के नाम की ही है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पट्टे को नहीं मानकर जो निर्णय दिया है, वह विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। वादी-रेस्पो. लूणाराम उक्त जोगाराम की संतान ही नहीं है और न ही वारिस है। जोगाराम द्वारा वादी-रेस्पो. लूणाराम के पक्ष में वादग्रस्त आराजी के संबंध में किसी प्रकार की कोई वसीयत या बेचान या उपहार या बख्शीश या अन्य किसी रूप से भूमि मुन्तकिल नहीं की है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी की बीगोडी भी प्रतिवादी-अपीलाण्ट के पिता जोगा द्वारा ही भरी जाती रही है। मूल आवंटी जोगा एवं जोगा की मृत्यु के बाद जोंगा की

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

तीनों जाईन्दा संताने भीखाराम, पुसाराम व ताजाराम वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है, बीगोडी की मूल रसीदात प्रदर्श डी-4 से प्रदर्श डी-30 तक साक्ष्य में प्रतिवादीगण ने पेश किये है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हें भी नजरअंदाज किया है। जोगाराम के देहान्त के बाद उनके तीनों पुत्रों के नाम जो म्युटेशन भरा गया, उसे 70 वर्षो की अवधि में आदिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। जोगाराम की मृत्यु के बाद उनकी तीनों संतानों में वादग्रस्त भूमि का बंटवारा होकर खसरा संख्या 99, 99/1, 99/2, 99/3 बने है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के बंटवाडे को वादी का बंटवाडा समझ कर जो निर्णय पारित किया है, वह विधि-विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रदर्श 2 राजस्व रिकार्ड में कहीं पर भी अस्तित्व में नहीं है जबकि प्रतिवादीगण के सभी दस्तावेजात सत्य, जोधपुर गवर्नमेण्ट व राज्य सरकार और राजस्व विभाग द्वारा हस्ताक्षरित, सील-मोहरयुक्त जारी किये हुए है। वादी लूणाराम के कायममुकाम पत्र ने इस अदालत में अपने पिता की मृत्यु संबंधित दो अलग-अलग दस्तावेज बनाये हुए है जो पत्रावली पर उपलब्ध है, एक मृत्यु प्रमाणपत्र में लूणाराम के पिता का नाम पाचाराम लिखाया हुआ है तो दूसरे में लूणाराम पत्रु जोगाराम लिखाया गया है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अपास्त किये जाने एवं वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता-रेस्पो. द्वारा बहस नहीं किया जाना जाहिर किया। रेस्पो. संख्या दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया, जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष को साबित करने के लिए वादी-रेस्पो. संख्या एक की ओर से मौखिक साक्ष्य में वादी-रेस्पो. लूणाराम स्वयं, पांचाराम, खेराजराम तथा सुन्दरराम एवं तरदीदी साक्ष्य के रूप में मोहनराम के बयान लिपिबद्ध करवाये गये और बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-01 राजस्व नक्शा, प्रदर्श 02 म्युटेशन, प्रदर्श-03खसरा गिरदावरी, प्रदर्श 10 मौका रिपोर्ट आदि प्रस्तुत किये। प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यु एक से तीन कमशः ताजाराम, ओमाराम व चूनाराम के बयान लिपिबद्ध कराये गये और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी-1 जमाबंदी, प्रदर्श डी-2 पासबुक, **प्रदर्श डी-3 पट्टा**, प्रदर्श डी-4 से प्रदर्श डी-30 बीगोडी की रसीदात तथा प्रदर्श डी-31 एवं प्रदर्श डी-32 वादी लूणाराम के मृत्यु रिपोर्ट संबंधी सूचना एवं रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की।

दोनों पक्षों की ओर से मौखिक साक्ष्य में जो गवाह पेश किये गये है, उनके बयानों का अवलोकन करने से पाया जाता है कि प्रत्येक पक्ष के गवाह ने अपने-अपने पक्ष को पुष्ट करते हुए मौखिक साक्ष्य में अपने-अपने बयान लिपिबद्ध कराये है।

**प्रदर्श-डी3 पट्टा बापी** गांव जोलियाली का अवलोकन परगना जोधपुर के अवलोकन से विदित होता है कि **तत्कालीन तहसीलदार जोधपुर द्वारा आराजी खसरा संख्यां 99 रकबा 54 बीघा 04 बिस्वा बारानी अव्वल जोगो बेटो गुला रो भील वासी गांव रो बापीदार के नाम से जारी किया गया** है। इसी बापी-पट्टा के मुजब पासबुक बनी है।

दस्तावेजी साक्ष्य में जो बीगोडी भुगतान की रसीदात पेश की गयी है, उनमें लगान का भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम दर्ज किया गया है अर्थात बीगोडी भुगतान की रसीदात के माध्यम से यह ज्ञात नहीं हो सकता कि जिस खसरा नम्बर की भूमि की बीगोडी जमा करायी गयी है, उसका खातेदार अथवा काश्तकार कौन है। किन्तु इन बीगोडी की रसीदों में जो लगान की राशि लिखी होती है, उसकी गणना के आधार पर यह अवश्य ज्ञात किया जा सकता है कि किस भूमि से संबंधित है। **आलौच्य मामले में वादग्रस्त आराजी का लगान बापी पट्टा के अनुसार 13 रूपया 10 आना होना पाया जाता है, जो इन सभी बीगोडी रसीदात में मूल लगान की राशि के तौर पर वर्णित है।** इस राशि से अधिक राशि की बीगोडी रसीद है तो आधिक्य की राशि अलग से लिखी हुई है और उसका विवरण बीगोडी जमा कराने में हुए विलम्ब के कारण पेनल्टी आदि स्पष्ट लिखा हुआ है।

प्रदर्श पी-2 नामांतरकरण संख्या 23 दिनांक 17 सितम्बर 1963 है, जिसके द्वारा वादग्रस्त आराजी जोगाराम की बजाय भीकाराम, फूसाराम ताजाराम पिसरान जोगाराम ½ लूणाराम पुत्र पांचाराम ½ कौम भील सा. देह के नाम दर्ज की गयी। **मगर यह नामांतरकरण किस आधार पर भरा जाकर स्वीकृत किया गया, कोई विववरण इस नामांतरकरण पर उपलब्ध नहीं है।** अतः इस दस्तावेजी साक्ष्य पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता है। यह नामान्तरकरण संदिग्ध है।

प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा तहसीलदार जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थनापत्र बाबत "म्युटेशन फर्जी भरने से संबंधित जांच करने बाबत" दिनांक 18.8.2000 को पेश किया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा इस प्रार्थनापत्र के आधार पर

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

आपराधिक मुकदमा लूणाराम पुत्र पांचाराम के खिलाफ दर्ज किये जाने हेतु थानाधिकारी, पुलिस थाना, उदयमंदिर जोधपुर को लिखा। इसके अलावा **तहसीलदार के आदेश दिनांक 4 जुलाई 1998 बाबत वंटवारा भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज 89 है, जिसके अनुसार भीखाराम 16 बीघा 08 बिस्वा, फूसाराम 16 बीघा 08 बिस्वा, ताजाराम 16 बीघा 08 बिस्वा, व भीखाराम, फूसाराम व ताजाराम पिसरान जोगाराम भील 16 बीघा 08 बिस्वा रखा गया है।** इस प्रकार प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र विवेचन का आधार पर यह तथ्य उभर कर सामने आते है कि : --

- वादग्रस्त आराजी मूलतः गुलाराम की खातेदारी की होने बाबत पत्रावली पर कोई साक्ष्य-सबूत उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर बिना किसी संशय के दृढतापूर्वक यह कहा जा सके कि वादग्रस्त आराजी का मूल खातेदार गुला था और वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि रही है। जबकि बापी पट्टा यह साबित करता है कि वादग्रस्त आराजी का मूल खातेदार जोगाराम था।
- रिकार्ड एवं नामान्तरकरण संख्या 74 दिनांक 17 सितम्बर 1968 कर है जो स्पष्ट करता है कि जोगलो (जोगाराम) की मृत्योपरांत उसके तीनों जाईन्दा पुत्रों -- भीखीया, फुसीया व तेजीया के के नाम भरा गया है। यह दस्तावेज साबित करता है कि मृतक जोगाराम के तीन ही पुत्र (अपीलाण्ट्स)ही है। रेस्पो. मृतक जोगाराम का कानूनन विधिक वारिसान नहीं है। यह तथ्य रिकार्ड पर

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

उपलब्ध अन्य दस्तावेजात जमाबंदी, बीघोडी पर्चिया आदि से साबित है।

- इसके विपरीत जो **"प्रदर्श डी-3"** पट्टा बापी ग्राम जोलियाली का दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर वादग्रस्त आराजी जोगाराम को तत्कालीन तहसीलदार द्वारा काश्त हेतु दिया जाना बिना किसी संदेह के सिद्ध होता है।
- यह तथ्य दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत है कि वादी-रेस्पो. लूणाराम जोगाराम का जाईन्दा या दत्तक पुत्र नहीं है, अपितु जोगाराम का भतीजा है और जोगाराम द्वारा उसका पालन-पोषण मात्र किया गया है। **वादग्रस्त आराजी बाबत जोगाराम द्वारा वादी-रेस्पो. के पक्ष में किसी प्रकार का कोई बेचान/हस्तान्तरण/वसीयत** या कोई हकतर्कनामा या अन्य इसी प्रकार का कोई अन्तरण विलेख निष्पादित नहीं किया गया है। वैसे भी एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीगण-रेस्पो. खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते।

इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा **तनकी संख्या एक आया वादी खेत खसरा संख्या 99 रकबा 53 बीघा 04 बिस्वा मौजा जोलियाली के ½ हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने का अधिकारी है? (जिम्मे वादी)** का आंशिक तौर पर निस्तारण वादी-रेस्पो. के पक्ष में करते हुए उसको वादग्रस्त आराजी के ¼ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है, उससे अदालत हाजा सहमत नहीं है। अदालत हाजा की राय में उपरोक्त किये गये विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी-रेस्पो. का वादग्रस्त आराजी खसरा

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

संख्या 99 रकबा 53 बीघा 04 बिस्वा वाके मौजा जोलियाली में कोई हक-हिस्सा नहीं बनता है। अतः यह तनकी संख्या एक पूर्णतः वादी-रेस्पो. के खिलाफ एवं प्रतिवादी-अपीलाण्ट्स के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या एक का निस्तारण वादी-रेस्पो. के खिलाफ हो जाने के बाद जब वादी-रेस्पो. का वादग्रस्त आराजी में कोई हक-हिस्सा ही नहीं रहता, तो **तनकी संख्या दो आया वादी अपने ½ हिस्से का बाई मीद्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा करवाये जाने का अधिकारी है? (जिम्मे वादी)** स्वतः ही वादी-रेस्पो. के खिलाफ निर्णित हो जाती है। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक अपीलाण्ट्स के मध्य आपसी सहमति से नामांतरकरण संख्या 414 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का बंटवारा पूर्व में ही हो चुका है।

तनकी संख्यां एक के विवेचन एवं निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादी-रेस्पो. कां प्रारम्भ से ही कभी वादग्रस्त आराजी में कोई हित निहित रहा ही नहीं है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या **तीन आया वादी प्रतिवादी 1 ता 3 द्वारा किया गया बेचान वादी के हितो पर शून्यप्रभावी है?(जिम्मे वादी)** का निस्तारण इस प्रकार किया जाता है कि जब वादी-रेस्पो. के वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के हित निहित है ही नही तो वादग्रस्त आराजी के संबंध में किये गये किसी भी प्रकार के संव्यवहार से वादी-रेस्पो. की कोई लिप्तता ही नहीं रहती है, अर्थात यह तनकी भी वादी-रेस्पो. के खिलाफ ही निर्णित की जाती है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रश्नगत भूमि का रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार ही मुश्तहक होता है। वादी-रेस्पो. आलौच्य प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में वादग्रस्त आराजी के संबंध में इस प्रास्थिति में नहीं है, अतः स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का मुश्तक नहीं होने के कारण तनकी संख्या चार **आया वादी स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने का अधिकारी है?** (जिम्मे वादी) वादी-रेस्पो. के खिलाफ तय की जाती है।

तनकी संख्या एक से चार का निस्तारण वादी-रेस्पो. के खिलाफ होने से यह तथ्य सिद्ध हो चुका है कि वादी-रेस्पो. द्वारा जिन तथ्यों एवं अभिकथनों के आधार पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया, उन तथ्यों एवं अभिकथनों को वादी-रेस्पो. समुचित साक्ष्य/सबूतों के आधार पर सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहें है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या पांच **आया वादी का वाद झूठे तथ्यों पर होने से काबिल खारिज है तथा खर्चा प्रकरण प्रतिवादी पाने का अधिकारी है?(जिम्मे प्रतिवादी)** का निस्तारण आंशिक तौर पर प्रतिवादी के पक्ष में करते हुए वादी-रेस्पो. का दावा खारिज किया जाता है परन्तु खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करने के आदेश दिये जाते है।

उपरोक्त समस्त विवचेन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 27 फरवरी 2019 तथा मूल दावा खारिज किये जाते है। डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 11/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

बइजलाज श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

| अपीलाण्ट्स | | रेस्पो. |
|---|---|---|
| 1. भीखाराम पुत्र जोगाराम भील के कायममुकामान--<br>a. श्रीमती कसुम्बी पत्नी भीखाराम भील, निवासी ग्राम जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर<br>b. सुमेरराम पुत्र भीखाराम भील, निवासी ग्राम जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर<br>c. चुनाराम पुत्र भीखाराम भील, निवासी ग्राम जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर<br>d. गोपाराम पुत्र भीखाराम भील, निवासी ग्राम जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर<br>e. बींजाराम पुत्र भीखाराम भील, निवासी ग्राम जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर<br>f. श्रीमती चुकी पुत्री भीखाराम भील पत्नी देवाराम भील निवासी बागावास, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर<br>g. श्रीमती धापु पुत्री भीखाराम भील पत्नी पूनाराम भील निवांसी चिचरली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर<br>2. फूसाराम पुत्र जोगाराम भील, निवासी जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर<br>3. ताजाराम पुत्र जोगाराम भील निवासी जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर | | 1. लूणाराम पुत्र पाचाराम भील के कायममुकामान --<br>a. श्रीमती गवरी देवी पत्नी लूणाराम निवासी जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर<br>b. भंवराराम पुत्र लूणाराम निवासी जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर<br>c. मोहनराम पुत्र लूणाराम, निवासी जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर<br>d. श्रीमती कमला पुत्री लूणाराम पत्नी वंशीलाल भील निवासी लोरडी देजगरा, तहसील व जिला जोधपुर<br>e. श्रीमती चुकी देवी पुत्री लूणाराम पत्नी रामाराम भील निवासी भाण्डू कटारडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर<br>f. श्रीमती बावूदेवी पुत्री लूणाराम पत्नी पप्पूराम भील, निवासी बडली तहसील व जिला जोधपुर<br>g. श्रीमती हीरादेवी पुत्री लूणाराम पत्नी सुखाराम भील निवासी ग्राम राजवा, तहसील व जिला जोधपुर<br>h. श्रीमती धापु देवी पुत्री लूणाराम पत्नी श्रवणराम भील, निवासी सुराणी, तहसील बालेसर जिला जोधपुर<br>2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर |

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दिनांक 27 फरवरी 2019 राजस्व वाद संख्या 137/2011 (84/2000, 59/2002) उनवान लूणाराम व अन्य बनाम भीखाराम इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

यह अपील बतारीख 11 दिसम्बर 2019 बहाजरी अपीलांट अधिवक्ता श्री बेनाराम पटेल एवं रेस्पो. की ओर से अधिवक्ता श्री अक्षय दवे व रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि *अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक* 27 *फरवरी* 2019 *तथा मूल दावा खारिज किये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।*

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ......00.......) रूपये .......00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का ..........00....... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 11 दिसम्बर 2019 को जारी हो किया गया।

11/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

खर्चा अपील

| अपीलाण्ट | राशि | रेस्पोडेण्ट | राशि |
|---|---|---|---|
| 1.स्टाम्प अपील<br>2.स्टाम्प बकालतनाम<br>3.इजराय हुक्मनामा<br>4.वकील फीस बाबत्<br>मीजान | | 1.स्टाम्प वकालतनामा<br>2.स्टाम्प अर्जी<br>3.इजराम हुक्मनामा<br>4.मेहनतामा<br>मीजान | |

11/12/19

(नखतदान बारहछ)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर